मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल,दिनांक 07/01/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/3/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 04 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 03.01.2019 में विचार किया गया ।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी (उप संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के प्रवर श्रेणी (संयुक्त संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 14 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री लीला किशन पाटीदार	महा प्रबंधक वित्त, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन, लिमिटेड भोपाल	**दिनांक 01.01.2019 से**

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक **01.01.2019** से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि **"कार्य नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,
07.01.2019
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 07/01/2019

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/3/2019/ई/चार,
प्रतिलिपिः-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
3. प्रमुख सचिव वित्त,/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन, लिमिटेड भोपाल
17. संबंधित अधिकारी.....
18. गार्ड फाईल.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/1/19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग